अंचल अधिकारी, छत्तरपुर (पलामू) का कार्यालय।

अभिलेख वाद सं0– 64 / 2016-17

वाद का प्रकारः– **बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कारवाई से संबंधित।**

तिथि	आदेश फलक	अभ्युक्ति
9.11.2022	**Covid-19** के तहत हुए लॉक डाउन के कारण अभिलेख उपस्थापित नहीं किया जा सका। प्रभारी प्रधान सहायक के द्वारा बतलाया गया कि अभिलेख संबंधित कर्मचारी के पास था। हस्तनान्तरण के पश्चात इनके द्वारा अभिलेख कार्यालय में जमा नहीं किया गया। प्रभारी प्रधान सहायक को निदेश दिया जाता है कि अभिलेख संधारण की कार्रवाई पुनः शुरू करें। अभिलेख दिनांक 8.12.2022 को उपस्थापित करें। (हस्ताक्षर) 9/11/22 अंचल अधिकारी, छत्तरपुर।	
8.12.22	अभिलेख उपस्थाप्ति। झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा0 दिनांक 13.05.2016 सह–पठित –श्री अनुप मुखर्जी निदेशक, भू– अर्जन–सह–विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्रांक सं0–3 खा0म0निति 119/85/2308/रा0, दिनांक 03.09.1985 एवं सह–पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं0– 914/रा0 दिनांक 09.12.1998 एवं विभागीय पत्रांक 1704/रा0, दिनांक 15/07/2020 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि **(किस्म —)** की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, निम्नांकित विवरणी की भूमिः– मौजा अरसमा थाना नं0 271 खाता सं0 2 प्लॉट सं0 335 रकबा 0.75 एकड़ की भूमि जो गत सर्वे में गैरमजरूआ मालिक किस्म —, अनाबाद बिहार/झारखण्ड सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी–II के जिल्द सं0 1 के पृष्ट सं0 18 पर जमाबंदी रैयत शेख मोहम्मद अंसारी पिता गुलजार अंसारी के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त भूमि विवरणी के विरूद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के आधार पर /सादाहुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव, संबंधित जमाबदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू–खण्ड से संबंधित	

Scanned with CamScanner

मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक 24.12.2022 को उपस्थापित करें।

08/12/22
अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

24.12.2022 अभिलेख उपस्थापित।

नोटिस का तामिला प्राप्त। मांगधारी रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि को उपस्थित हुए। इनके द्वारा अपने पक्ष में लगान रसीद वर्ष-1993-94, लाल हुकुमनामा मनेजर रामगढ़ बोर्ड ऑफ रेवन्यू इस्टेट, पलामू हस्ताक्षरित हुकुमनामा सं०-242/1949-50 समर्पित किया गया है। इस संबध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को निदेश दिया जाता है कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को एक सप्ताह के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें।

अभिलेख दिनांक 7.1.2023 को उपस्थापित करें।

24/12/22
अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

7.1.2023 अभिलेख उपस्थापित

राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा आंकाखाड़ी मौजा नं० 271 खाता सं०- 2 प्लॉट सं०- 335, रकबा 0.75 किस्म —— खतियान के अनुसार गैरमजरूआ मालिक खाते की भूमि है। मांगधारी रैयत को उक्त भूमि कैसे प्राप्त हुआ है इस संबंध में कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नही कराया गया है। तत्कालिन राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश प्राप्त किए अबैध रूप से मांग कायम किया गया है तथा मांगधारी का उक्त भूमि पर दखल कब्जा अस्पष्ट है। लगान रसीद वर्ष 1994-95 —— तक निर्गत है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षके के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत पंजी-II में कायम जमाबंदी सं० 18/1 को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप समाहर्ता, छत्तरपुर के माध्यम से अपर समाहर्ता, पलामू को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

7/01/23
अंचल अधिकारी
छत्तरपुर।

Scanned with CamScanner

संदिग्ध जमाबंदी से संबंधित अंचल स्तर पर भरा जाने वाला चेक–लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम – पलामू एवं छतरपुर

2. अवैध जमाबंदीदार का नाम एंव भूमि का विवरण :–

जमाबंदीदार का नाम	मौजा	थाना नं॰	खाता नं॰	खेसरा नं॰	रकवा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म जमीन
रोज मोहम्मद अंसारी S/O गुलजार अंसारी	आलाबसा	271	2	335	0.75	गैरमजरुआ मालिक	खतियान उपलब्ध नहीं है

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप :– खतियान उपलब्ध नहीं है।

4. अवैध जमाबंदी पंजी–II में कब से संधारित है? :– माँग पंजी-II में माँग संधारण वर्ष दर्ज नहीं है।

5. उक्त जामबंदी पंजी–II मे दर्ज करने वाले कर्मचारी / पदाधिकारी का नाम (पदाधिकारीयों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी / कर्मी का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें) :– प्राधिकार कॉलम में वर्ष व नाम दर्ज नहीं

6. नामान्तरण / दाखिल – खारिज के उपरान्त संधारित जमाबंदी के मामलों में मूल जमाबंदी रैयत की विवरणी :– NA

7. अवैध जमाबंदी कायम किये जाने का आधार

(क) अनिबंधित ,सादा हुकुमनामा :– सादा हुकुमनामा

(ख) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (वाद संख्या एवं पारित अदेशानुसार) :– प्राधिकार कॉलम कोई जानकारी दर्ज नहीं

(ग) अवैध भू–बंदोबस्ती (वाद संख्या के साथ) भूदान सहित :–

8. सादा हुकुमनाम की स्थिति में तथा–कथित सादा पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (100 / –रूपये से कम या इससे अधिक) :– —

[signatures]

Scanned with CamScanner

अवैध जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई है :–
(क) भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न से :–
(ख) अंचल / अनुमंडल में संधारित बंदोबस्ती पंजी से :–
(ग) दाखिल–खारिज / भू–हस्तांतरण / नामांतरण पंजी से :–

खाता मौजा पंजी–II एवं दर्ज से मिलान किया

10. (क) अवैध जमाबंदी क्या दिनांक–01.01.1946 के पूर्व से कायम है :– नहीं

(ख) क्या दिनांक–01.01.1946 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमीनदारी रसीद साल–दर–साल निर्गत है? :– नहीं

11. क्या दिनांक–01.01.1946 के बाद से 1955–56 तक जमीनदारी रसीद तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत हैं? :– नहीं

12. वर्ष 1954–55 में हुए फिल्ड –बुझारत पंजी में दखल–कब्जा अवैध जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? :– नहीं

13. राजस्व उप–निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा सहित :– प्रतिवेदित भूमि मौजा - आकाशपुर के खाता 2 प्लाट 335 रकबा 0.75 ए. का मांग पंजी–II के पृ.सं.–18/I पर शेख मोहम्मद अंसारी के नाम से दर्ज है। पंजी–II में मो. s/o गुलजान अंसारी के नाम से दर्ज नहीं है। जमाबंदी रैयत कायम होने का कोई आधार दर्ज नहीं है। एवं सादा हुकुमनामा जो के द्वारा लगान रसीद मैनेजर साहेब बोर्ड और इन्कम्बर्ड इस्टेट, पलामू के द्वारा प्रदत्त है। इसकी सत्यापित जिसमें दस्तावेज का नं. 340/1949–50 दर्ज है। भूमि गैरमजरूआ मालिक है परन्तु किसी स्पष्ट कागजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने के कारण वर्तमान में जमाबंदी रैयत का दखल–कब्जा स्पष्ट नहीं है। भूमि पर जमाबंदी अवैध प्रतीत होता है। अग्रेतर कारवाई हेतु जाँच प्रतिवेदन सादर समर्पित।

14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जाँचोपरांत मंतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन :–
राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित जाँच प्रतिवेदन का जाँच किया, सही पाया। अतः उपरोक्त जमाबंदी को अवैध प्रतीत होता है।

अंचल अधिकारी, छत्तरपुर। | भूमि–सुधार उप समाहर्त्ता, छत्तरपुर। | अनुमण्डल पदा०, छत्तरपुर। | अपर समाहर्त्ता, पलामू। | उप... प...

Scanned with CamScanner

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन।

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :– शेख मोहम्मद अंसारी s/o गुलजान अंसारी

2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरणी जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या I पृष्ठ सं. 18 पर कायम है

मौजा	थाना नं.	खाता सं.	खेसरा सं.	रकवा (एकड़)
[illegible]	271	2	335	0.75

3. जमाबंदी किस वर्ष कायम है :– अधिकार अभिलेख से आधारित वर्ष दर्ज नहीं है।

4. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :– गैरमजरूआ मालिक

5. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गयी है :– दर्ज नहीं है।

6. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामांतरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :–

NA

7. मूल जमाबंदी कायम किये जाने का आधार
(अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भू–बंदोबस्ती) :–

8. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गयी
(भूतपूर्व जमीनदार दाखिल रिटर्न / बंदोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू–हस्तांतरण पंजी)
:– वर्तमान में पंजी–II से

9. संदेहास्पद जमाबंदी में लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :–

क्र. सं.	लगान रसीद सं.	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
1	599977	1-2-84	1987-1990
2	520382	31-3-1990	1990-91
3	208817	3-7-91	1993-94
4	220830	8-7-94	1994-95
5	835337	28-10-95	

कार्यालय, अंचल अधिकारी,छत्तरपुर (पलामू)।

वाद अभिलेख सं0 64 **/20**16-17 **(अन्तर्गत धारा 4(h). BLR Act, 1950**

सूचना

बनाम रोज मोहम्मद अंसारी

पिता - गुलजान अंसारी

एतद द्वारा आपको सूचित कया जाता है कि मौजा आण्डाकास्टा थाना नं0 221 खाता सं0 2 खेसुरा नं0 335 रकबा 75 से संबंधित आपके नाम से ह0 नं0 111 के पंजी–II भाग 1 के पृष्ठ 18 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्ट्या राजस्व उपनिरीक्षक नें अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 24/12/2022 को समय 11:00 बजे पूर्वाहन में उक्त भूमि का रिटर्न–1, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमीदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहूँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति–युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकिद जाने।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

Digitally signed by MODASAR NAZAR MANSURI
Date: 2023.01.08 21:17:41 +05:30
Location: 192.168.143.5

Scanned with CamScanner